



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011

दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



क्र.नि.वि.1/स-6/उपस्थिति/डी- 1953

दिनांक 07.01.2026

परिपत्र

विषय :- अधिकारिक email-id को सक्रीय रखने हेतु अधुन आदि सुनिश्चित करने एवं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु प्राप्त की जाने वाली अनुमति विषयक।

- संदर्भ :- 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म.प्र. ग्वालियर का कार्यालय आदेश क्र./ व्ही.एल.सी./Office -Order/2025-26/O.O-16 दिनांक 02.01.2026 (छायाप्रति संलग्न)।
2. मुख्यालय कार्यालय का पत्र No. 30 – GE-I/32-2023 Dated 05.01.2026 (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त विषयांतर्गत संभागीय लेखापाल संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त संदर्भित संलग्न पत्रों में दिए गये दिशा निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(यह परिपत्र उप महालेखाकार/निर्माण लेखा द्वारा अवलोकित है)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

प्रति,

1. समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी
2. समस्त संभागीय लेखाधिकारी-I
3. समस्त संभागीय लेखाधिकारी-II
4. समस्त संभागीय लेखापाल
5. समस्त परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल

01

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्र./व्ही.एल.सी./Office-Order/2025-26/O.O -16

दिनांक: 02.01.2026

// कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER //

मुख्यालय से प्राप्त ई-मेल के क्रम में, जिसमें निष्क्रिय आधिकारिक ई-मेल खातों निलंबन/निष्क्रिय /हटाने जाने संबंधी सूचना दी गई है एवं निर्देशित किया गया है की कार्यालय के सभी email-id धारक/ उपयोगकर्ता (नाम-आधारित एवं पद नाम-आधारित दोनों प्रकार के email-id) अपने ई-मेल खाते सक्रिय, अद्यतन एवं सदैव उपयोग हेतु तैयार रखें। यदि किसी उपयोगकर्ता की email-id 90 दिनों तक निष्क्रिय रहती है तो उस email-id को NIC back-end प्रणाली द्वारा स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा एवं यदि उक्त आईडी को 180 दिनों की अवधि में सक्रिय किए जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो उपयोगकर्ता की आईडी एवं उससे संबंधित सभी डेटा ई-मेल प्रणाली से हटा दिया जाएगा। इससे ई-मेल, संपर्क एवं ऐतिहासिक डेटा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त जिन उपयोगकर्ताओं ने ई-मेल खाते (नाम-आधारित/पदनाम-आधारित/अनुभागीय) अभी तक नई ई-मेल सेवा(mail.gov.in) पर माइग्रेट नहीं किया है, ऐसे निष्क्रिय ई-मेल खातों को अब नई ई-मेल सेवाओं में माइग्रेट नहीं किया जाएगा। उन्हें तत्काल नए ई-मेल खाते हेतु व्ही.एल.सी. अनुभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा।

इसके अतिरिक्त @cag.gov.in डोमेन पर निर्मित email-id का उपयोग किसी भी प्रकार की अनाधिकृत, गैर-आधिकारिक अथवा गैर-विभागीय कार्यों के लिए उपयोग न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में सभी सहायक-लेखाधिकारियों/वरिष्ठ-लेखाधिकारियों से अनुरोध है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

(महालेखाकार महोदय के अनुमोदन से जारी)

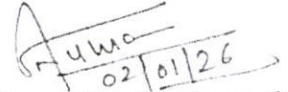
— Sd —
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ व्ही.एल.सी.

क्र./व्ही.एल.सी./Office-Order/2025-26/एस.टी.आर.-I/ 0-126

दिनांक: 02.01.2026

प्रतिलिपि:

01. सचिवालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
02. सचिवालय, उप-महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
03. सचिवालय, उप-महालेखाकार/लेखा एवं व्ही.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश
04. सचिवालय, उप-महालेखाकार/निर्माण लेखा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), भोपाल शाखा, मध्य प्रदेश
05. सूचना पट्ट
06. गार्ड फाइल


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ व्ही.एल.सी.

OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA,
NEW DELHI - 110 124

No. 30 - GE-1/32-2023
Dated :- 05.01.2026

To

All Heads of Offices and Subordinate Offices
in the Indian Audit & Accounts Department,
(As per mailing list)

Madam/Sir,

Sub:- Regarding Permission for appearing in Civil Services Examination.

It is hereby clarified that permission to appear in the Civil Services Examination (CSE) is required to be obtained from the Headquarters' Office only at the initial stage.

2. Accordingly, such permission shall be sought either at the time of applying for the Civil Services Examination (Preliminary) or, in cases where an officer has applied for the Civil Services Examination (Preliminary/Mains) prior to joining the Indian Audit & Accounts Department, at the time of applying for the Civil Services Examination (Mains/ Personality Test) of the relevant year.

3. Once permission has been accorded by the Headquarters' Office at the initial stage, no separate permission shall be required for appearing in the subsequent stages of the Civil Services Examination, namely the Mains Examination or the Personality Test, as applicable. However, prior intimation regarding appearance in such subsequent stages shall be furnished to the Headquarters' Office for information and record.

4. All Heads of Offices are requested to bring the contents of this circular to the notice of all officers under their administrative control and to ensure strict compliance.



(B.K. Mohanty)
Director General (Personnel)